फाइल संख्या: एससीएच/111282021-एसएनपी
भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
(पीएमकेवीवाई डिवीजन - एसडी विंग)

पीटीआई बिल्डिंग, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001
दिनांक: 28 मार्च, 2021

सेवा में

प्रधान लेखाधिकारी
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

विषय: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) के केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक के पुद्दुचेरी राज्य स्किल विकास मिशन (पीएसएसडीएम)/पुदुचेरी कौशल विकास सोसाइटी द्वारा कार्यान्वयन के लिए पुदुचेरी सरकार को वर्ष 2021-22 के संबंध में आवर्ती सहायता अनुदान जारी करना।

पीएसएसडीएम/पीएसडीएस द्वारा पीएमकेवीवाई 3.0 के सीएसएसएम घटक के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 23,18,,0001/- (तेईस लाख अठारह हजार रुपये मात्र) की पुद्दुचेरी सरकार को आवर्ती सहायता अनुदान राशि के भुगतान के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है।

2. व्यय (मांग संख्या 91- एमएसडीई) के नामे डाला जाएगा।

मुख्य शीर्ष – **3601**	धनराशि (रुपयों में)
3602.06.101.22.03.31- सहायता अनुदान-सामान्य	19,33,000
3602.06.789.14.01.31- सहायता अनुदान-सामान्य (अनुसूचित जाति)	3,85,000
योग	**23,18,000**

नीरज 28/3/21

3. पुद्दुचेरी में पीएमकेवीवाई के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) का विवरण :

एजेंसी का नाम	पुद्दुचेरी कौशल विकास सोसाइटी
एकल नोडल एजेंसी बैंक का नाम	इंडियन बैंक
खाते का नाम व संख्या	पुद्दुचेरी राज्य कौशल विकास मिसन खाता संख्या: 6552392007

4. इस स्वीकृति आदेश के माध्यम से जो धनराशि जारी की जा रही है, उसके दो भाग हैं अर्थात प्रशिक्षण लागत और अन्य लागत (अर्थात व्यवस्थापक और तकनीकी हस्तक्षेप, जागरूकता और जुटाव और नियोजन के बाद की लागत)। चूंकि पीएमकेवीवाई 3.0 के सीएसएसएम घटक को एसएसडीएम (राज्य कौशल विकास मिशन) द्वारा डीएससी (जिला कौशल समितियों) के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है, अन्य लागतों के तहत एसएसडीएम और डीएससी के लिए दिशानिर्देशों में अलग से प्रावधान किया गया है और यह नीचे दर्शायागया है:

अन्य लागत का घटक	पीएमकेवीवाई **3.0** के तहत प्रतिशत
प्रशासनिक और तकनीकी हस्तक्षेप सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत राज्य की कुल प्रशिक्षण लागत का 6 प्रतिशत	2% डीएससी को 4% एसएसडीएम को
जागरुकता और जुटाव: सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत राज्य की कुल प्रशिक्षण लागत का 3 प्रतिशत	2% डीएसवी को 1% एसएसडीएम को
नियोजन उपरांत: सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत राज्य की कुल प्रशिक्षण लागत का 3 प्रतिशत	1% डीएससी को 1% एसएसडीएम को
योग	डीएससी **(5%)** एसएसडीएम **(6%)**

नवीन अरोरा

5. वित्त विभाग, पुडुचेरी से अनुरोध है कि इस स्वीकृति आदेश के माध्यम से जारी की गई धनराशि को तत्काल एसएनए को हस्तांतरित किया जाए। साथ ही, एसएनए से अनुरोध किया जाता है कि डीएससी के लिए निर्धारित निधियां इस मंत्रालय को सूचित करते हुए निधियां प्राप्त होने पर तुरंत स्थानांतरित कर दी जाएंगी।

6. रिलीज निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:

i. स्कीम के तहत निधि का वितरण/हस्तांतरण सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से किया जाएगा।

ii. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निधि संवितरण पीएमकेवीवाई स्कीम दिशानिर्देशों और स्कीम के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

iii. निधि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे जारी किया जा रहा है।

iv. सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) 2017 के अनुसार खातों के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना है।

v. व्यय आवंटित बजट से अधिक नहीं होगा।

vi. जीएफआर 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, जारी किए गए सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के खिलाफ सभी ब्याज या अन्य कमाई को गैर-कर के माध्यम से खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद नॉन-टैक्स प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के माध्यम से अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में भेज दिया जाना चाहिए।

vii. निर्देशों/दिशानिर्देशों का कोई भी विचलन/विलगाव निधियों के आगे वितरण को प्रभावित करेगा।

7. सहायता अनुदान की राशि को प्रधान लेखा अधिकारी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 की लेखा बही में अंतिम रूप से समायोजित किया जा सकता है। स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर, प्रधान लेखा अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक (केन्द्रीय लेखा अनुभाग), नागपुर को राज्य सरकार की शेष राशि में जमा करने के लिए एक सलाह जारी कर सकता है। प्रधान लेखा अधिकारी सलाह की एक प्रति राज्य सरकार के महालेखाकार और वित्त विभाग को एक प्रति के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित कर सकता है। राज्य सरकार सहायता अनुदान की प्राप्ति के संबंध में प्रधान लेखा अधिकारी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को सूचना भेजेगी।

नवीन अरोरा

8. अनुदानग्राही संस्थाओं के खाते भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे।

8. सीएसएसएम घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-21) के लिए निर्धारित निधि की यह पहली किश्त (यानी किश्त 1) है। सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों पहले कोई फंड जारी नहीं किया गया है।

9. यह वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 के अनुदान रजिस्टर के क्रमांक 17 पर नोट कर लिया गया है।

10. यह एएस एंड एफए, एकीकृत वित्त प्रभाग (एमएसडीई) की ई-फाइल नंबर 38760 दिनांक 19.05.2021 पर दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता हैं।

भवदीय,

नवीन अरोरा

(नवीन अरोरा)

अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नंबर 011-23465935
ई-मेल: naveen.arora81@gov.in

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:

1. सचिव, वित्त विभाग, पुडुचेरी सरकार।
2. सचिव, श्रम विभाग, पुडुचेरी सरकार।
3. अपर सचिव (एसडी विंग), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय।
4. मुख्य लेखा नियंत्रक, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार (ए एंड ई), पुडुचेरी।
6. मिशन निदेशक, पुडुचेरी राज्य कौशल विकास मिशन (पीएसएसडीएम)।
7. एकीकृत वित्त विंग (आईएफडब्ल्यू), एमएसडीई, नई दिल्ली।
8. आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (एलएडब्ल्यू), एमएसडीई, नई दिल्ली।
9. बजट अनुभाग, एमएसडीई, नई दिल्ली।
10. डीजीएसीआर, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
11. डीडीओ (नकद अनुभाग), एमएसडीई, नई दिल्ली।

नवीन अरोरा

(नवीन अरोरा)

अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नंबर 011-23465935
ई-मेल: naveen.arora81@gov.in